न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

रैयती अपील वाद संख्या–01/2017–18

कृष्णा प्रसाद बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

02/08/18

आदेश

यह अपील बकास्त रैयती भूमि अभिलेख सं0 46/2015–16 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 22.07.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर की गयी है।

आवेदक का कहना है कि

(1) बिहटा अंचल अंतर्गत मौजा समसारा थाना नं0 63, खाता नं0 14 खेसरा नं0 809 कुल रकवा 2.37 एकड़ सर्वे खतियान में बकास्त इमानतदार के रूप में शिव शरण लाल के नाम पर दर्ज है। शिव शरण लाल के एकमात्र पुत्र विनोद बिहारी लाल तथा विनोद बिहारी लाल के एकमात्र पुत्र अनामी शरण लाल हुए।

(2) आवेदक के द्वारा वसीका सं0 5845 एवं 5846 दिनांक 21.08.1991 से प्रश्नगत खेसरा सं0 809 का एक बीघा चार कठ्ठा खतियानी रैयत के वंशज अनामी शरण लाल से खरीदा गया। आवेदक के बिक्रेता के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी सं0 147 कायम थी।

(3) खरीदगी के पश्चात आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, बिहटा को आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 278/2010–11 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा आवेदक का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। तब आवेदक के द्वारा अंचलाधिकारी, बिहटा के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 11/2011–12 दायर किया गया।

(4) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 11/2011–12 में सुनवाई के उपरान्त अपील स्वीकृत करते हुए दिनांक 06.11.2012 को अंचलाधिकारी, बिहटा को आवेदक के नाम से जमाबंदी कायम करने का निदेश दिया गया। तदुपरान्त आवेदक के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड के लिए जमाबंदी सं0 134 कायम की गयी। तभी से आवेदक के नाम से लगान रसीद निर्गत हो रही है।

(5) बकास्त रैयती भूमि वाद सं0 46/2015–16 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा यह कारण बताते हुए कि अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा आवेदक के दाखिल खारिज संबंधी आवेदन को वाद सं0 278/10–11 के अन्तर्गत अस्वीकृत कर दिया गया था, अतः आवेदक की जमाबंदी सं0 134 भ्रामक एवं अवैध है, प्रश्नगत भूखण्ड को सरकारी घोषित

कर दिया गया।

(6) बकास्त रैयती भूमि वाद सं0 46/15–16 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 22.07.2016 को पारित आदेश को अनुचित एवं गलत बताते हुए उसे रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य सरकार की तरफ से सहायक सरकारी अधिवक्ता के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के आदेश को उचित एवं विधि सम्मत बताते हुए अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का विरोध किया गया।

बकास्त रैयती भूमि वाद सं0 46/15–16 के अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा यह माना गया है कि अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 278/10–11 के अंतर्गत आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया था फिर भी पंजी–2 में जमाबंदी सं0 134 सृजित किया गया है, जो भ्रामक एवं अवैध है। परन्तु अपीलकर्ता के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 11/2011–12 में दिनांक 06.11.2012 के आदेश की सत्यापित प्रति की छाया प्रति दाखिल की गयी है, जिससे स्पष्ट है कि दाखिल खारिज वाद सं0 278/10–11 में पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल खारिज अपील वाद सं0 11/2011–12 दायर की गयी। उक्त अपील को स्वीकृत करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा अपीलकर्ता की जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया गया।

मैं यह समझता हूँ कि बकास्त रैयती भूमि वाद सं0 46/2015–16 में निर्णय लेते समय भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 11/2011–12 में पारित आदेश पर ध्यान नहीं दिया गया। अतः वाद को भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को प्रति प्रेषित करते हुए निदेश है कि बकास्त रैयती भूमि वाद सं0 46/2015–16 मे आवेदक का पक्ष पुनः सुन कर भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर विधि–सम्मत आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना